

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बलदेव सिंह बनाम प्रदीप सिंह आदि

प्रकरण संख्या ०२ / २०२५ अन्तर्गत धारा 188 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
--------	-----------------------------------	-------------------

26⁰³/₂₅

अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA नोटिफ़िकेशन किया।

Not Press

Rudhram Kumar
Advocate
Sri Kumar
दिनांक 26/3/2025

वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया। लिहाजा वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA नोटिफ़िकेशन करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगति लेकर गम्बर से काग लीकर वाखिल दफ्तर ली।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर